न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा, (राज0)

बईजलास श्री विकास पंचोली आर0ए0एस0

दायर तारीख 16.01.2019

राजस्व प्रकरण संख्या 1/2019

अनवान

01. मोनु पिता प्रकाशदास जाति बैरागी उम्र नाबालिक बबिलायत माता सन्तोष पत्नि प्रकाशदास जाति बैरागी उम्र वयस्क निवासी भुति हाल मुकाम पदमपुरा तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाड़ा (राज0)
02. हिम्मत पुत्री प्रकाशदास जाति बैरागी उम्र नाबालिक बबिलायत माता सन्तोष पत्नि प्रकाशदास जाति बैरागी उम्र वयस्क निवासी भुति हाल मुकाम पदमपुरा तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाड़ा (राज0)

.....वादीगण

बनाम

01. प्रकाशनाथ पिता गोपालदास जाति बैरागी उम्र वयस्क निवासी भुति तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
02. सियाराम पिता गोपालदास जाति बैरागी उम्र वयस्क निवासी भुति तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
03. सोहनीबाई बेवा गोपालदास जाति बैरागी उम्र वयस्क निवासी भुति तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
04. लालीबाई पिता गोपालदास पत्नि निर्मल जाति बैरागी उम्र वयस्क निवासी भुति हाल मुकाम गणेशपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
05. लीलाबाई गोपालदास पत्नि सत्यनारायण जाति बैरागी उम्र वयस्क निवासी भुति हाल मुकाम पदमपुरा तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाड़ा (राज0)
06. राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।

..... प्रतिवादीगण

उपस्थित :– 1. श्री जगदीशचन्द्र धाकड़ – अधिवक्ता वादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: आदेश :–

दिनांक 19/06/2019

वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है वादीगण द्वारा उक्त वादपत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सदारामजी का खेड़ा पटवार हल्का गणेशपुरा तहसील बिजौलियां की सरहद में सम्वत 2068 से 2071 एवं इससे पूर्व के राजस्व रेकॉर्ड में मृतक खातेदार गोपालदास पिता लछमणदास बैरागी के खातेदारी अधिकारों एवं कब्जे शुदा जमीन आराजी नम्बर 476/2 रकबा 0–14 बीघा, आराजी नम्बर 477/2 रकबा 0–04 बीघा, आराजी नम्बर 478/4 रकबा 3–11 बीघा, आराजी नम्बर 599/478 रकबा 2–00 बीघा आराजी नम्बर 784/467 रकबा 2–00 बीघा, आराजी नम्बर 785/475 रकबा 2–10 बीघा कुल किता 6 रकबा 10–19 बीघा भूमि दर्ज रेकॉर्ड हैं। खातेदार गोपालदास की मृत्युपरान्त वादग्रस्त आराजीयात प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के नाम दर्ज रेकॉर्ड चली आ रही हैं जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी नम्बर–1 का समान हिस्सा हैं।

वादीगण एवं प्रतिवादीगण दोनों हिन्दु हैं एवं उन पर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पुश्तैनी जमीन में खातेदार मृतक गोपालदास की समस्त चल अचल सम्पति में वादीगण का जन्म से अधिकार हैं। प्रतिवादी संख्या 1 हिन्दु कर्ता खानदान होने से उसके नाम दर्ज रेकॉर्ड की गयी किन्तु कर्ता खानदान होने से पुश्तैनी जमीन को विक्रय हस्तांतरण करने का अधिकार प्राप्त नही हैं क्योंकि उक्त पुश्तैनी जमीन में वादीगण का भी हक हिस्सा निहित होकर प्रथम श्रेणी के उतराधिकारी है। तथा वादग्रस्त आराजीयात में खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 का 1/5 हिस्सा नही होकर 1/15 हिस्सा हैं। एवं वादीगण का 1/15 – 1/15

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जि.-भीलवाड़ा

लगातार पेज संख्या 02 पर

Scanned by CamScanner

यानि 2/15 हिस्सा हैं वादग्रस्त आराजीयात पुश्तैनी होने से वादीगण को 2/15 हिस्से के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने योग्य हैं। वादग्रस्त आराजीयात प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम अकेले नाम दर्ज रेकॉर्ड होने का अनुचित लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रतिवादी नम्बर 1 ने वादग्रस्त आराजीयात का विक्रय हस्तांतरण करने बाबत् सौदेबाजी करना प्रारम्भ कर दिया। वादीगण को वादग्रस्त जमीन पर काश्त करने की धमकिया भी दे रहा हैं। प्रतिवादीगण 1 वादीगण का पिता होकर भी वादीगण के साथ मारपीट एवं लड़ाई झगडा कर घर से एवं वादग्रस्त आराजीयात से बेदखल करने पर आमादा हैं। प्रतिवादी संख्या 1 कभी भी वादीगण को बेदखल कर वादग्रस्त आराजीयात का विक्रय हस्तांतरण कर सकता हैं। इस आशय की धमकी भी प्रतिवादी संख्या 1 ने वादीगण को दिनांक 01.01.219 को दी। इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध **स्थायी निषेधाज्ञा** प्राप्त करना आवश्यक हैं।

वादी ने अन्त में अनुतोष चाहा कि ग्राम सदाराम जी का खेड़ा पटवार हल्का गणेशपुरा तहसील बिजौलियां की सरहद में स्थित आराजी नम्बर आराजी नम्बर 476/2 रकबा 0–14 बीघा, आराजी नम्बर 477/2 रकबा 0–04 बीघा, आराजी नम्बर 478/4 रकबा 3–11 बीघा, आराजी नम्बर 599/478 रकबा 2–00 बीघा आराजी नम्बर 784/467 रकबा 2–00 बीघा, आराजी नम्बर 785/475 रकबा 2–10 बीघा कुल किता 6 रकबा 10–19 बीघा भूमि वादीगण की पुश्तैनी होकर वादीगण प्रत्येक का 1/15 – 1/15 हिस्सा होकर खातेदार काश्तकार घोषित कर राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज कराना फरमावें। साथ ही इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 सादिर फरमायी जावें। कि वादग्रस्त आराजीयात पुश्तैनी होकर वादीगण के बनने वाले हिस्से का प्रतिवादी नम्बर 1 विक्रय हस्तांतरण नही करें। वादीगण को बेदखल नही करें। वादीगण के उपयोग उपभोग एवं कब्जे काश्त में दखलन दाजी नहीं करें एवं न ही किसी अन्य से करावें।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये समन मय नकल वादपत्र भेज करवाई गयी।

प्रतिवादीगण प्रकाश, सियारामदास, लीलाबाई न्यायालय में प्रथम बार सुनवाई हेतु उपस्थित रहें। तत्पश्चात उपस्थित नही होने से गैर हाजरी दर्ज करते हुए उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये।

प्रकरण एकपक्षीय होने से तनकीयात कायम नही की जाकर वास्ते साक्ष्यवादी में प्रकरण रखा गया।

वादीगण ने वादपत्र के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न प्रस्तुत किये।

1. जमाबन्दी संवत् 2068–2071
2. जमाबन्दी संवत् 2060–2063
3. जमाबन्दी संवत् 2068–2071
4. जमाबन्दी संवत् 2048–2051
5. जमाबन्दी संवत् 2072–2075

शहादत वादी में वादी ने पीडब्ल्यू 1 सन्तोष व पीडब्ल्यू 2 सत्तू पिता भोलूदास वैष्णव निवासी पदमपुरा के बयान कराये गये।

पीडब्ल्यू 1 सन्तोष ने अपने बयान में लिखाया कि मेरी शादी प्रकाश पिता गोपाललाल बैरागी निवासी भूति के साथ 10–12 साल पहले शादी हुई। शादी के बाद 2 बच्चे सोनू, हिम्मत हुए। 5 वर्ष व 2 वर्ष 6 माह के हैं। इनका पालन पोषण मेरा घर वाला नही कर रहा हैं। घर वाले के पुश्तैनी जमीन बाप दादाओं की 10–11 बीघा जमीन हैं इस पुश्तैनी जमीन में 1/5 हिस्सा मेरे पति प्रकाशनाथ का आता हैं पर जमीन ग्राम सदाराम जी का खेड़ा में हैं। जमीन पुश्तैनी होने से सन्तानों का भी 1/15, 1/15 हिस्सा बनता हैं। मेरा पति कोई काम नही करता हैं। जमीन बेचने पर उतारू हैं क्योंकि पुश्तैनी जमीन उनके नाम पर हैं जमीन मेरे पति के नाम होने से बेचने ही धमकी दे रहे हैं। कभी भी जमीन बेच सकता हैं। अतः मेरे संतानों का बनने वाला हिस्सा की जमीन मुझा संरक्षक के नाम दर्ज कराना फरमावें। मेंने पुश्तैनी जमीन के खाते की नकले पेश की गई। प्रदर्श – 1, 2, 3, 4 हैं। तथ्य वर्तमान जमाबन्दी प्रदर्श – 5 हैं। पुश्तैनी जमीन में से हिस्सा दिलाया जावें व जमीन बेचने से रोका जाए।

पीडब्ल्यू 2 सतू ने अपने बयान में लिखाया कि मेरी बहन संतोष की शादी ग्राम भूति में प्रकाश पिता गोपाल बैरागी के साथ 10 साल पहले हुई थी।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जि -भीलवाड़ा

लगातार पेज संख्या 03 पर

Scanned by CamScanner

शादी के बाद 2 बच्चे सोनू व हिम्मत हुए। एक 5 वर्ष का एवं दुसरा 2 वर्ष 6 माह का हैं। दोनों बच्चे का पालन पोषण संतोष का पति नही कर रहा हैं। इसके घर वालों के बाद दादा की पुश्तैनी जमीन ग्राम सदाराम जी का खेड़ा में करीब 10–11 बीघा हैं। जिसके प्रकाश का 1/5 वां हिस्सां आता हैं। वादीगण को भी पुश्तैनी जमीन में हिस्सा मिलना चाहिए।

वादीगण द्वारा अन्य कोई मौखिक/दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही करने से शहादत वादी बंद की गई। प्रतिवादीगण द्वारा किसी प्रकार की साक्ष्य प्रस्तुत नही की गयी। बहस एक पक्षीय सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता वादी ने बहस के दौरान वादपत्र में अंकित तथ्यों को विस्तार से विवेचन किया तथा निवेदन किया कि भूमि पुश्तैनी हैं पुश्तैनी भूमि से प्रकाशदास प्रतिवादी नं 1 के हिस्से की भूमि में वादीगण का खातेदार गोपालदास की मृत्यु के पश्चात वादपत्र आराजीयात प्रतिवादीगण के नाम चली आ रही हैं। पुश्तैनी भूमि से वादीगण एवं प्रतिवादी नम्बर 1 का समान हिस्सा हैं। प्रतिवाददी नं0 1 हिन्दूकर्ता खानदान भूमि उनके नाम रखी गयी हैं। पुश्तैनी भूमि होने से वादीगण का भी हिस्सा निहित हैं प्रतिवादी भूमि के विक्रय हस्तान्तरण बाबत् सोदेबाजी कर रहा हैं। जिसका उन्हे कोई हक अधिकार नही हैं।

करवाते हुए 10 बीघा 19 बिस्वां में वादीगण प्रत्येक का 1/15, 1/15 हिस्से का खातेदार काश्तकार

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादी की एक पक्षीय बहस पर मनन किया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी ग्राम सदाराम जी काखेड़ा की संवत 2068–2071, 2060–2063, 2068–2071, 2048–2051, 2072–2075 के अवलोकन से ग्राम सदाराम जी का खेड़ा पटवार हल्का गणेशपुरा तहसील बिजौलियां की सरहद में स्थित आराजी नम्बर आराजी नम्बर 476/2 रकबा 0–14 बीघा, आराजी नम्बर 477/2 रकबा 0–04 बीघा, आराजी नम्बर 478/4 रकबा 3–11 बीघा, आराजी नम्बर 599/478 रकबा 2–00 बीघा आराजी नम्बर 784/467 रकबा 2–00 बीघा, आराजी नम्बर 785/475 रकबा 2–10 बीघा कुल किता 6 रकबा 10–19 बीघा भूमि वादीगण की पुश्तैनी होकर वादीगण प्रत्येक का 1/15 – 1/15 हिस्सा होकर खातेदार काश्तकार घोषित कर राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज कराना फरमावें। **इस सम्बन्ध में राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के पत्रांक 45 (1) राजस्व –6/97/18 दिनांक 08.01.2007 के अनुसार विभागीय परिपत्र दिनांक 08.09.1997 द्वारा यह स्पष्ट किया गया हैं कि पुत्र को अपने पिता की पैतृक भूमि पर जन्म से ही अधिकार हैं। हिन्दू उतराधिकार अधिनियम में पिता की पैतृक सम्पति में पुत्र/पुत्री दोनों को जन्म से ही अधिकार होता हैं। इसलिए पुत्र/पुत्री दोनों ही अपने पिता की पैतृक भूमि में पिता के जीवनकाल में ही जोत का विभाजन कर सकते हैं। पैतृक कृषि भूमि में पिता के साथ–साथ पुत्र/पुत्री भी सह कृषक होते हैं। चाहे राजस्व रेकॉर्ड में इसका अंकन नही भी हो, इसलिए पुत्र/पुत्री अपने पिता की पैतृक भूमि में पिता के जीवन काल में ही सह कृषक होनें के नाते विभाजन करा सकते हैं। यदि पैतृक भूमि के जोत विभाजन के सम्बन्ध में पिता या अन्य पुत्र/पुत्री सहमत नही हो तो ऐसी अवस्था में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के तहत् घोषणात्मक वाद प्रस्तुत कर जोत का विभाजन कराया जा सकता हैं।**

प्रस्तुत प्रकरण में पुश्तैनी भूमि में वादीगण का हक अधिकार हैं। प्रतिवादीगणों द्वारा भूमियों को खुर्द बुर्द हस्तांतरण करना चाह रहा हैं। यदि प्रतिवादीगणों के नाम भूमि दर्ज होने से विक्रय कर दी गयी तो वादीगण अपने हिस्से की भूमि से वंचित हो जायेगें। प्रतिवादीगण वादियान के साथ शराब पीकर लडाई झगडा कर बेदखल करने पर आमादा हैं। भूमि को विक्रय कर सकता हैं। वादीगण प्रत्येक का 1/15, 1/15 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित हैं।

अतः प्रस्तुत वादपत्र वादीयागण अर्न्तगत धारा **88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर ग्राम सदाराम जी का खेड़ा पटवार हल्का गणेशपुरा तहसील बिजौलियां की सरहद में स्थित आराजी नम्बर आराजी नम्बर 476/2 रकबा 0–14 बीघा, आराजी नम्बर 477/2 रकबा 0–04 बीघा, आराजी नम्बर 478/4 रकबा 3–11 बीघा, आराजी

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जि.भीलवाड़ा

लगातार पेज संख्या 04 पर

Scanned by CamScanner

नम्बर 599/478 रकबा 2–00 बीघा आराजी नम्बर 784/467 रकबा 2–00 बीघा, आराजी नम्बर 785/475 रकबा 2–10 बीघा **कुल किता 6 रकबा 10–19 बीघा** भूमि में वादीगण प्रत्येक का 1/15 – 1/15 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। साथ ही प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता हैं कि वादीगण के हिस्से की भूमि में प्रतिवादीगण दखलनदाजी नही करें। न अन्य किसी से करायेगें। डिक्री मूर्तिब हों।

आदेश आज दिनांक 19/06/2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो।

(विकास पचोली)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां जि. भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner